न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 158 / 2016

कुम्भाराम पुत्र मोटाराम जाति मेघवाल निवासी पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर।
2. हरचन्दसिंह
3. सुखदेवसिंह — पिसरान मघरसिंह जाति मजहबी सिख निवासी पन्नीवाली
4. गुरचरणसिंह — जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. जगरामसिंह
6. पप्पूसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह जाति मजहबीसिख निवासी बुढा गुजर रोड मुक्तसर साहिब तहसील व जिला मुक्तसर साहिब पंजाब।
7. भूको कौर
8. मितो — पिसरान मघरसिंह जाति मजहबी सिख निवासी पन्नीवाली जाटान
9. केलो — तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 12.08.2016

उपस्थितिः—

श्री दिनेश छाबडा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री जितेन्द्र सरपाल अभिभाषक रेस्पों.

श्री इकबालसिह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक** :— 28.02.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष एक वाद पेश किया जिसके साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर वाद के निर्णय तक

28/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वह चक 9 एस.पी.एम. के मु.नं. 3 कि.नं. 16 में 17 बिस्वा अर्थात 0.215है0 भूमि का विरासतन इन्तकाल अपने नाम से स्वीकृत करवाने एवं विवादित भूमि को रहन, बैय आदि द्वारा मुन्तकिल करने से बाज व ममनू रहे का अनुतोष चाहा। अप्रार्थीगण ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 12.08.2016 को प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थी अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रा.पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि मघरसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में जरिये वसीयत दिनांक 27.03.84 को अपीलांट के पक्ष में तस्दीक करवा दी थी। अपीलांट वसीयत के आधार पर विवादित भूमि का खातेदार हो चुका है। तहसीलदार द्वारा बिना किसी आधार के दिनांक 26.08.2014 को अपने आदेश दिनांक 08.08.2014 को रिव्यू करते हुए पटवारी हल्का को आदेश दिया कि रिकार्ड में गैरखातेदारी होने के कारण नामान्तरणकरण दर्ज न किया जावे। ऐसी स्थिति में रेस्पों. विरासतन इन्तकाल दर्ज कराने की फिराक में एवं भूमि को आगे मुन्तकिल करना चाहते हैं। यदि ऐसा करने में वह सफल हो गये तो अपीलांट के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रा.पत्र खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए धारा 212आर.टी.ए का प्रा.पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट अपने पक्ष में वसीयत बता रहा है जो सन्देह से परे है। वसीयत के आधार पर क्या हक अधिकार मिलने है इसका निर्णय मूल वाद में तय होगा। अधी. न्यायालय ने धारा

28/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

212 आर.टी.ए के तीनों कारकों का विवेचन करते हुए प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 12.08.2016 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा.पत्र खारिज किया है जबकि अपीलांट विवादित आराजी का वसीयत आधारित खातेदार काश्तकार है। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी. न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन Ingridients में प्रथम दृष्टया मामले के विवेचन में लिखा है कि प्रार्थी की जाति मेघवाल है एवं अप्रार्थी की जाती मजहबी सिख है जोकि आपस के जाति बिरादरी के नहीं है। अतः वसीयत संदेह से परे साबित नहीं है, किया गया विवेचन न केवल विधि विरूद्ध है अपितु सामाजिक समरसता के भी विपरीत है। यही नहीं यह विवेचन दावे की Merits को भी प्रभावित करने वाला है। अतः यह विवेचन खारिज योग्य है। अन्य Ingridients सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी अपीलांट के विरूद्ध इसलिए विवेचित किये क्योंकि सुविधा का संतुलन अपीलांट के विरूद्ध विवेचित हुआ है। क्योंकि न्याय दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यू. 1953 पेज 416 मुसा बनाम बद्रीप्रसाद, आर.एल.डब्ल्यू. 1957 पेज 74 गोपीराम बनाम ठाकुर जी पेज 446 नारायणदास बनाम मौलाबक्श में यह held किया है कि A party who wants toa temperory injunction must satisfy all the grounds not only one or two of them. अतः अधी. न्यायालय को तीनों कारकों का स्वतंत्र विवेचन करना चाहिए था जो नहीं किया है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधी. न्यायालय द्वारा तीनों ही grounds का अपीलांट के विरूद्ध सही विवेचन नहीं करने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.08.2016 निरस्त किया जाता है एवं अधी.

28/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09.12.2014 को वाद के निर्णय तक पुष्ट किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/2/18

(प्रेमाराम चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर